

S.No.	Name of the Scheme	Name of the State	Amount released in 1995-96
9.	Special Central Assistance for TSP	Assam Manipur Tripura	1545.19 574.53 564.97

NON-PLAN SCHEMES

Grant-in-aid to Assam Government under Clause (a) of 2nd Proviso to Article 275(1) of the Constitution

13.33

चीनी पर गन्ना विकास उपकर

188. श्री राम जेठमलानी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीनी पर गन्ना विकास उपकर के रूप में धनराशि एकत्रित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 के दौरान प्रतिवर्ष तथा जून, 1995-96 तक गन्ना विकास उपकर के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई थी;

(ग) क्या उपर्युक्त वर्षों के दौरान विभिन्न मदों के लिए ऐसी धनराशि में से कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो 1993-94, 1994-95 के दौरान तथा 1995-96 में जून माह तक कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में और किस-किस रूप में व्यय की गई है; और

(ङ) जून, 1996 के अंत में इस कोष में कुल शेष राशि कितनी है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) निधि में जमा वर्षवार राशि निम्नानुसार है:—

वर्ष	एकत्रित उपकर	चीनी विकास निधि में अन्तर्गत उपकर
1993-94	165.47 करोड़ रुपये	200.00 करोड़ रुपये
1994-95	143.64 करोड़ रुपये	185.00 करोड़ रुपये
1995-96	36.88 करोड़ रुपये	शून्य
(जून, 1995 तक)		

(ग) जी, हां। जैसा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(घ) उपर्युक्त वर्षों के दौरान निधि से विभिन्न मदों के लिए प्रदान की गई वित्तीय मदद का वर्षवार ब्यौरा उपाबन्ध-1 में दिया गया है।

(ङ) जून, 1996 के अन्त तक इस निधि में कुल शेष राशि 1012.02 करोड़ रुपये थी।

विवरण

1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान निधि से विभिन्न मदों के लिए मंजूर की गई वित्तीय सहायता के वर्षवार ब्यौरे

(लाख रुपये में)

मद	1993-94	1994-95	1995-96 (जून, 95 तक)
1. चीनी की बफर स्टॉक को रखने के लिए सब्सिडी	120.82	146.49	20.81
2. चीनी उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान	16.05	146.83	

मद	1993-94	1994-95	1995-96 (जून, 95 तक)
3. गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण	3777.81	1326.13	155.29
4. चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए ऋण	7750.06	5026.60	436.50
	11664.74	6646.05	612.60

राज्यों द्वारा गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल की मांग

189. श्री नागमणि:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार महीनों के दौरान, प्रत्येक राज्य द्वारा गेहूँ, चावल, चीनी तथा मिट्टी के तेल की वस्तु-वार तथा मास-वार कितनी-कितनी मात्रा में मांग की गई है तथा इन राज्यों को उनकी कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं का कम आवंटन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) गेहूँ और चावल राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। यह आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा की गई मांग, उठान की प्रवृत्ति और अन्य संगत घटकों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय पूल से किए जाने वाले आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं, इनका उद्देश्य किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश की पूरी मांग को पूरा करना नहीं है। तथापि, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उठाई गई मात्रा सामान्यतः आवंटित मात्रा से कम रहती है।

राज्य द्वारा दी गई मांग अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर दी हुई होती है और इससे वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाती है। पिछले चार माह (फरवरी-मई, 1996) के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में चावल और गेहूँ की मांग, आवंटन और उठान बताने वाले विवरण अनुपत्रों में संलग्न हैं। [देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 9 और 10]

चीनी

फिलहाल, आंशिक नियंत्रण के अधीन अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लेवी चीनी का मासिक आवंटन एक-समान मानदण्डों पर किया जाता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि 1991 की जनगणना के अनुसार 1.1.1996 से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम चीनी उपलब्ध हो। तथापि, कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में चल रही विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक लेवी चीनी के आवंटन की अनुमति दी जा रही है। तदनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का लेवी चीनी का मासिक कोटा लगभग 3.69 लाख मीटरी टन बैठता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार प्रत्येक वर्ष त्योहार कोटे के रूप में भी लगभग एक लाख मीटरी टन चीनी रिलीज करती है जो राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके लेवी कोटे के अनुपात में उनकी पसंद के महीने में आवंटित किया जाता है।

उपर्युक्त के आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पिछले चार महीनों अर्थात् फरवरी-मई, 1996 के दौरान लेवी चीनी का आवंटन किया गया है। लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे और वार्षिक त्योहार कोटे को बताने वाला विवरण अनुपत्र पर दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 11]